रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042021-226441 CG-DL-E-08042021-226441

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2021/चैत्र 18, 1943
No. 201]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2021/CHAITRA 18, 1943

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

## सं. 08/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 252(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के था पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

# सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021
		(2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद
	सा.का.नि. 361 (अ), दिनांक 13 मई,	शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण
	2002 के तहत भारत के राजपत्र,	अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की

2114 GI/2021 (1)

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
2.	असाधारण में प्रकाशित किया गया था।  11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे	गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद
	सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।	शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
3.	10/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.िन. 136 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, -  (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;  (ii) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
4.	11/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 137 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
5.	12/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 138 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द,

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
	गया था ।	अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
6.	13/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 139 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
7.	03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 85 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, -  (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 के खंड 116 जो कर का अनंतिम संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर, विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;  (ii) शब्द, अंक और कोष्ठक वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के पूर्वोक्त खंड 116", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनयम, 2021 (2021 का 13) की उक्त धारा 125" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
8.	05/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 87 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्गहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्गहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
9.	06/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 88 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. 354/41/2021-टीआरयू]

## नोट:-

- 1. प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 13 मई, 2002, को सा.का.िन. 361 (अ), दिनांक 13 मई, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 86 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 2. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.िन. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 83 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 3. प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा.का.िन. 136 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 89 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 4. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा.का.िन. 137 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 89 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 5. प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा.का.िन. 138 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 89 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 6. प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा.का.िन. 139 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 89 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 7. प्रधान अधिसूचना संख्या 03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.िन. 85 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।
- 8. प्रधान अधिसूचना संख्या 05/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.िन. 87 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग Ⅱ, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।
- 9. प्रधान अधिसूचना संख्या 06/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.िन. 88 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

### MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2021

#### No. 08/2021-Central Excise

G.S.R. 252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:

## **TABLE**

S. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	28/2002-Central Excise, dated the 13 <sup>th</sup> May, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 361(E), dated the 13 <sup>th</sup> May, 2002.	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
2.	11/2017-Central Excise, dated the 30 <sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 793(E), dated the 30 <sup>th</sup> June, 2017.	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
3.	10/2018-Central Excise, dated the 2 <sup>nd</sup> February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 136(E), dated the 2 <sup>nd</sup> February, 2018.	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", wherever they occur, the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
4.	11/2018- Central Excise, dated the 2 <sup>nd</sup> February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 137(E), dated the 2 <sup>nd</sup> February, 2018.	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
5.	12/2018- Central Excise, dated the 2 <sup>nd</sup> February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 138(E), dated the 2 <sup>nd</sup> February, 2018.	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
6.	13/2018- Central Excise, dated the 2 <sup>nd</sup> February, 2018 published in the Gazette of India,	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional

S. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
	Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 139(E), dated the 2 <sup>nd</sup> February, 2018.	Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
7.	03/2021-Central Excise, dated the 1 <sup>st</sup> February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 85(E), dated the 1 <sup>st</sup> February, 2021.	In the said notification, -  (iii) for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", wherever they occur, the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted;
		(iv) for the words, figures and brackets "aforesaid clause 116 of the Finance Bill, 2021", the words, figures and brackets "aforesaid section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
8.	05/2021-Central Excise, dated the 1 <sup>st</sup> February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 87(E), dated the 1 <sup>st</sup> February, 2021.	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
9.	06/2021-Central Excise, dated the 1 <sup>st</sup> February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 88(E), dated the 1 <sup>st</sup> February, 2021.	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", the words, figures and brackets, "section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.

[F. No. 354/41/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

### Note :-

- The principal notification 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002 and last amended, vide notification No. 04/2021-Central Excise, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 86(E), dated the 1st February, 2021.
- 2. The principal notification 11/2017-Central Excise, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 793(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and last amended, vide notification No. 01/2021-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.
- 3. The principal notification **10/2018-Central Excise**, dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 136(E), dated the 2nd February, 2018 and last amended, *vide* notification No. 07/2021-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 89(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.

- 4. The principal notification 11/2018-Central Excise, dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 137(E), dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018 and last amended, *vide* notification No. 07/2021-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 89(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.
- 5. The principal notification **12/2018-Central Excise**, dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 138(E), dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018 and last amended, *vide* notification No. 07/2021-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 89(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.
- 6. The principal notification **13/2018-Central Excise**, dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 139(E), dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018 and last amended, *vide* notification No. 07/2021-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 89(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.
- 7. The principal notification **03/2021-Central Excise**, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 85(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.
- 8. The principal notification **05/2021-Central Excise**, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 87(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.
- 9. The principal notification **06/2021-Central Excise**, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 88(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.